BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 138/2024

IN THE MATTER OF:

Petitioner Prajesh Bisen & Ors.

Versus

Respondents Chief Municipal Officer, Balaghat & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board in compliance of Order dated 25.05.2025		02-04
2.	Copies of letter dated 14.07.2025 along with order dated 03.07.2025 of Member Secretary, MPPCB, and proceedings of the committee constituted for the imposition of environmental compensation	R-1	05-16

Place: Bhopal
Date: 28.07.2025

Parul

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph. No.: (+91)-80859-77111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 138/2024

IN THE MATTER OF:

Petitioner Prajesh Bisen & Ors.

Versus

Respondents Chief Municipal Officer, Balaghat & Ors.

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.05.2025

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That this Hon'ble Tribunal vide Order dated 25.05.2025 directed Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred as "**MPPCB**") to impose Environmental Compensation (hereinafter referred as "**EC**") on Municipal Corporation, Balaghat for disposal of Solid Waste in violation of Solid Waste Management Rules, 2016. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal, relevant extract from Order dated 25.05.2025 is reproduced hereinbelow :

"3. In view of the above facts the Municipal Corporation, Balaghat is directed ensure the compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016 and ensure the disposal of solid waald in accordance with the rules and in-case of any violation State PC has directed to take necessary action in addition to calculation of environmental compensation and its realization."

2. That in compliance of the aforementioned directions of this Hon'ble Tribunal, MPPCB Regional Office, Jabalpur vide letter dated 14.07.2025 imposed, EC to the tune of INR 17,67,00,000/- (rupees seventeen crore, sixty-seven lakhs only) on Municipal Corporation, Balaghat for violation of Solid Waste Management Rules, 2016 from 01.07.2020 to 31.03.2025. That the copies of letter dated 14.07.2025 along with order dated 03.07.2025 of Member Secretary, MPPCB, and proceedings of the committee constituted for the imposition of environmental compensation are marked and annexed herewith as **Annexure R-1**.

3. Hence, the present Action Taken Report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present Action Taken Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by MPPCB.

Place: Bhopal
Date: 28.07.2025

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph. No.: (+91)-80859-77111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक/528/क्षेका/प्रनिबो/2025 जबलपुर, दिनांक 14/7/25

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बालाघाट,
जिला बालाघाट (म0प्र0)

विषय– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बालाघाट पर दिनांक 01/07/2020 से 31/03/2025 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिम 1974 की धारा 24 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत्।

संदर्भ– बोर्ड मुख्यालय भोपाल का पत्र कमांक 2076 दिनांक 03/07/2025.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01/07/2020 से 31/03/2025 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है, जिसकी राशि 17,67,00,000/-- है। बोर्ड मुख्यालय के निर्देशानुसार उक्त राशि को 15 दिवस के अंदर बोर्ड के खाते में जमा कर बोर्ड मुख्यालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त आदेश की प्रति तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु गठित समिति का कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

(के0पी0सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0क्रमांक/529/क्षेका/प्रनिबो/2025 जबलपुर, दिनांक 14/7/25

प्रतिलिपि :—

सदस्य सचिव महोदय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0पी0सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Tel.No.-07552464428ए 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

LiFE Lifestyle for Environment

कमांक 2076/विधि/प्रनिबो/2025, भोपाल, दिनांक 03 JUL 2025

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बालाघाट,
जिला - बालाघाट (म.प्र.)।

विषय :- **मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालाघाट पर दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत।**

संदर्भ :-
1. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा सुनवाई हेतु सूचना पत्र दिनांक 11.06.2025
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण (सीजेड़) कमांक ओए 138/2024 (प्रजेश बिसेन व अन्य विरुद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बालाघाट व अन्य) में दिनांक 25/04/2025 को पारित आदेश।
3. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर का पत्र कमांक 197 दिनांक 08.05.2025

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ ही वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

2. यह कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत् प्रत्येक उद्योग को नियमानुसार संचालन हेतु बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 अंतर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना तथा सम्मति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना पूर्ण रूप से अनिवार्य है।

3. यह कि, संस्था को बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत् जारी प्राधिकार की वैधता दिनांक 31.03.2008 तक थी।

4. यह कि, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.04.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं दूषित जल के निस्सारण हेतु एसटीपी स्थापित नहीं करने के कारण दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 17,67,00,000/- की गणना कर अधिरोपति करने का प्रस्ताव दिया गया है।
(छायाप्रति संलग्नक-1 : क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव)

5. यह कि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण कमांक ओ.ए कमांक 593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 एवं प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के अनुसार की गई है। जो कि निम्नानुसार है :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016
Tel.No.-07552464428ए 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

LiFE Lifestyle for Environment

Urban Local Body Nagar Palika Parishad Balaghat
Total Environmental Compensation on ULB (EC Calculation period from July 2020 to March 2025)

S. No.		Description	Amount in Lakh
A		Non Compliance of MSW Rules 2016 - Rule (22) from serial No. 1-10 **(Compensation as per part A of Annex. I as per ULB population)** **01/07/2020 and 31/03/2025**	57
B	(i)	Remediation of entire Legacy Waste dump site(s) from ULB not been completed till **31/03/2025 (Compensation as per part B of Annex. I as per ULB population for 6 months)**	**(i) N.A**
		OR	
	(ii)	Remediation of entire Legacy Waste dump site(s)from ULB completed between **01/07/2020 to 31/03/2025 (Compensation as per part B of Annex. I as per ULB population** ***to be calculated for the period of non compliance in months*****)**	**(ii) N.A**
C	(i)	In-situ-bio-remediation – of the drains where in situ-bio-remediation have not been started by **31/03/2025 (Compensation as per part C of Annex. I @ Rs. 5 lakh/drain/month for 6 months)**	**(i) 00**
		AND	
	(ii)	In-situ-bio-remediation – of the drains where in situ-bio-remediation have been started between **01.07.20 to 31.03.2025 (Compensation as per part C of Annex. I @ Rs. 5 lakh/drain/month** ***to be calculated for the period of non compliance in months for each drain*****)**	**(ii) 00**
			TOTAL:
D	(i)	Non constructed/non operationalized STPs by **31/03/2025 (Compensation as per part D of Annex. I @ Rs. 10 Lakhs/STP/Month for 6 months)**	**(i) 00**
		AND	
	(ii)	Operationalization of STPs between **01/07/2020 to 31/03/2025 (Compensation as per part D of Annex. I @ Rs. 10 Lakhs/STP/Month** ***to be calculated for the period of noncompliance in months for each STP*****)**	**(ii) 1710**
			TOTAL:
		GRAND TOTAL COMPENSATION:	**1767**

6. यह कि, बोर्ड के पत्र कमांक 1823 दिनांक 11.06.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गठित समिति के समक्ष संस्था को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिये दिनांक 20.06.2025 को शाम 4.00 बजे बैठक का आयोजन बोर्ड मुख्यालय में किया गया था।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Tel.No.-07552464428ए 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

7. यह कि, समिति द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जबाव का अवलोकन किया गया। दिनांक 27.05.2024 को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाया गया जिसके आधार पर माननीय अधिकरण द्वारा बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया। मुख्य नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत जबाव को समिति द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया।
(छायाप्रति संलग्नक-2 : कार्यवाही विवरण)

8. यह कि, संस्था द्वारा दिये गये जवाब एवं संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत उपरोक्तानुसार संस्था पर राशि रूपये 17,67,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु सम्मति शर्तो के उल्लंघन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 17,67,00,000/- बोर्ड के खाते में 15 दिवस के भीतर निम्नांकित विवरण अनुसार जमा किये जाने के निर्देश दिये जाते है :-

Account Name	**"Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT"**
Bank & Branch	**Punjab National Bank**
Account Number	**6310001200000043**
Beneficiary Name	**Member Secretary**
IFSC Code	**PUNB0631000**

संलग्न :- 1. क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की प्रति।
2. बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला बालाघाट की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री (प्रमुख तकनीकी शाखा), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण यंत्री (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संलग्नक - 1

NGT/Case

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक/ 197 /क्षेका/प्रनिबो/2025 जबलपुर, दिनांक 08/05/25

M.P. Pollution Control Board
BHOPAL M.P.
E/No.: 2984403
Date : 22/05/25

प्रति,

सदस्य सचिव
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ.ए .क्रमांक 138/2024 (सीजेड) एवं 38/2025 मे दिनांक 25/04/2025 को पारित आदेश के परिपालन में।

संदर्भः –माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/04/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ.ए .क्रमांक 138/2024 (सीजेड) एवं 38/2025 (प्रजेश बिसेन विरूद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट) मे दिनांक 25/04/2025 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

1- *Learned counsel for the Municipal Council, Balaghat Mr. Rohit Sharma has sought a short time to file the reply/action taken report. The same may be filed within four weeks.*
2- *Learned counsel for the applicant has highlighted the issue of non- compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and disposal of Municipal Solid Waste by way of open burning causes health problems to the citizens and air pollution.*
3- *In view of the above facts the Municipal Corporation, Balaghat is directed to ensure the compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016 and ensure the disposal of solid waste in accordance with the rules and in-case of any violation State PCB has directed to take necessary action in addition to calculation of environmental compensation and its realisation.* (A)

माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में नगर पालिका परिषद बालाघाट के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना कर प्रस्ताव संलग्न है। कृपया नगर पालिका परिषद बालाघाट के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जबलपुर (म0प्र0)

SE. II

श्री पटेल
RO से 'A' हेतु प्रस्तुत।
22/05/2025

22/5

Inspection Report By Regional Office Jabalpur
(July 2020 to March 2025)

- **Name of ULB** - Nagar Palika Parishad Balaghat
- **Population** - 84261
- **Name, Designation & Address of Incharge of ULB** - Shri B.D, Katrolia, CMO Nagar Palika Parishad Balaghat
- **Name, Designation & Address of Incharge of Facility** - Shri B.D, Katrolia, CMO Nagar Palika Parishad Balaghat
- **Name & Designation of ULB officer present during inspection** - Shri Surya Prakash, Health Department

Part A - Compliance status of MSW Rules 2016 - Rule (22) from Serial No. 1 – 10

S. No.	Description	Compliance Status	
		Yes	No
1	Identification of suitable sites for setting up solid waste processing facilities	Yes	-
2	Identification of suitable sites for setting up common regional sanitary landfill facilities for suitable clusters of local authorities under 0.5 million population and for setting up common regional sanitary landfill facilities or stand alone sanitary landfill facilities by all local authorities having a population of 0.5 million more.	-	No
3	Procurement of suitable sites for setting up solid waste processing facility and sanitary landfill facilities.	-	No
4	Enforcing waste generations to practice segregation of bio degradable, recyclable, combustible, sanitary waste domestic hazardous and inert solid wastes at source,	Yes	-
5	Ensure door to door collection of segregated waste and its transportation in covered vehicles to processing or disposal facilities.	Yes	-
6	Ensure separate storage, collection and transportation of construction and demolition wastes	Yes	-
7	Setting up solid waste processing facilities by all local bodies having 100000 or more population	-	No
8	Setting up solid waste processing facilities by local bodies and census towns below 100000 population.	-	No
9	Setting up common or stand alone sanitary landfills by or for all local bodies having 0.5 million or more population for the disposal of only such residual wastes from the processing facilities as well as untreatable inert wastes as permitted under the Rules	-	No
10.	Setting up common of regional sanitary landfills by all local bodies and census towns under 0.5 million population for the disposal of permitted waste under the rules	-	No

Part B - Remediation of legacy waste	
(i) Number of Dump sites containing legacy waste existing in ULB as on **31/03/2025**	01
(ii) Location of each Dumpsite 1- Rengatola Dump site (Operational)	Latitude & Longitude 21.7985, 80.1561
(ii) Quantity of legacy waste deposited in each dump site (MT)	Nil
(iv) Status of remediation completed in each dump sites between **1-7-20 and 31-03-25** ***(Provide completion Date for each site)***	Not Started

Part C- In-situ-phytoremediation / bio-remediation of drains

S. No.	Description	Information to be provided by Regional Officer
(i)	Number of Drains meeting water bodies (Name of drains/Nallah if any)	03 1-Budhi Nala Meeting to Wainganga River 2-Local Nala meeting to Budhi Talab (Mehra) 3-Local Nala meeting to Wainganga river
(ii)	In-situ-bio-remediation system required on drains (Please provide Nos.)	03
(iii)	Drains where in-situ-bioremediation have been started till **31.03.2025** (Please provide Nos.)	00
(iv)	Remaining Drains where in-situ-bioremediation had not been started till **31.03.2025** (Please provide Nos.) (ii minus iii)	03
(v)	Drains on which in-situ-bioremediation started between **01/07/2020 and 31/03/2025** ***(Provide commencement Date for each drain)***	00
(v)	Drains where in-situ-bioremediation have not been started by **31/03/2025** (Please provide Nos.)	03

Part D-Status of STPs

S. No.	Description	Information to be provided by Regional Officer *(Provide numbers and capacities in MLD of each one)*
(i)	Number of STPs required in the ULB / Cantt. Board	03
(ii)	Number of STPs operationalized till **31.03.2025**	00
(iii)	Remaining STPs for construction/ operationalization as on **31.03.2025** (i minus ii)	00
(iv)	No of STPs which are operationalized between **01.07.20 to 31.03.25** ***(Provide commencement Date for each STP & its capacity)***	00

(v)	Number of STPs remaining which are yet to be constructed/operational I sed in ULB after **31.03.2025** (iii minus iv)	00

Urban Local Body Nagar Palika Parishad Balaghat

Total Environmental Compensation on ULB (To be calculated from July 2020 to March 2025)

S. No.	Description	Amount in Lakh
A	Non Compliance of MSW Rules 2016 - Rule (22) from serial No. 1-10 **(Compensation as per part A of Annex. I as per ULB population)** **01/07/2020 and 31/03/2025**	57
B	(i) Remediation of entire Legacy Waste dump site(s) from ULB not been completed till **31/03/2025** **(Compensation as per part B of Annex. I as per ULB population for 6 months)**	**(i) N.A**
	OR	
	(ii) Remediation of entire Legacy Waste dump site(s)from ULB completed between **01/07/2020 to 31/03/2025** **(Compensation as per part B of Annex. I as per ULB population _to be calculated for the period of non compliance in months_)**	**(ii) N.A**
C	(i) In-situ-bio-remediation – of the drains where in situ-bio-remediation have not been started by **31/03/2025** **(Compensation as per part C of Annex. I @ Rs. 5 lakh/drain/month for 6 months)**	(i) 00
	AND	
	(ii) In-situ-bio-remediation – of the drains where in situ-bio-remediation have been started between **01.07.20 to 31.03.2025 (Compensation as per part C of Annex. I @ Rs. 5 lakh/drain/month _to be calculated for the period of non compliance in months for each drain_)**	(ii) 00
		TOTAL:
D	(i) Non constructed/non operationalized STPs by **31/03/2025 (Compensation as per part D of Annex. I @ Rs. 10 Lakhs/STP/Month for 6 months)**	(i) 00
	AND	
	(ii) Operationalization of STPs between **01/07/2020 to 31/03/2025 (Compensation as per part D of Annex. I @ Rs. 10 Lakhs/STP/Month _to be calculated for the period of noncompliance in months for each STP_)**	(ii) 1710
		TOTAL:
	GRAND TOTAL COMPENSATION:	1767

Date of Inspection: - 03/04/2025

Name & Signature of Inspecting Officer: - Sanjay Verma, Assistant Engineer

I hereby approve the above said facts of the inspection report.

Regional Officer

(Name & Signature with seal)

N/C dated 20/06/2025

संलग्नक -2

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 , e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

कार्यवाही विवरण

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद जिला बालाघाट पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु गठित समिति की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

बोर्ड के आदेश कमांक 1743 दिनांक 30.07.2019 द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लघंन करने वाले उद्योगों/संस्थानों पर अधिरोपित की जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के आंकलन हेतु दिनांक 20.06.2025 को उक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल — अध्यक्ष
2. श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल — संयोजक
3. श्री मनोज कुमार मंडराई अधीक्षण यंत्री, (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य
4. श्री के.पी सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित) — सदस्य
5. श्री अभिषेक सिंह, वित्त अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य
6. श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री (पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, जबलपुर)
7. श्रीमति पारूल भदौरिया, बोर्ड रिटेनर अधिवक्ता (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित)

संस्था नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट की ओर से श्री वाचस्पति त्रिपाठी, सहायक ग्रेड–2 एवं सुश्री दीक्षा चतुर्वेदी–अधिवक्ता उपस्थित रहे।

श्री के.पी सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक ओए कमांक 138/2024 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.04.2025 के पालनार्थ म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपति करने के निर्देश दिये गये।
2. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 197 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट पर राशि रू. 17,67,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपति करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है।
3. मुख्यालय द्वारा पत्र कमांक 1823 दिनांक 11.06.2025 के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गठित

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
(0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

समिति के समक्ष दिनांक 20.06.2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

4. दिनांक 20.06.2025 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गठित समिति के समक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के प्रतिनिधि श्री वाचस्पति त्रिपाठी, सहायक ग्रेड–2 नगर पालिका परिषद कार्यालय जिला बालाघाट ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में अपना पक्ष रखा।

5. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट पर राशि रू. 17,67,00,000/– की गणना कर नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं दूषित जल के निस्सारण हेतु एसटीपी स्थापित नहीं करने पर दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपति करने का प्रस्ताव दिया गया है।

6. पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण कमांक ओ.ए कमांक 593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 एवं प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 में उल्लेखित फार्मूला के अनुसार की गई है।

7. समिति द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के जबाव का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2024 को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाया गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधिकरण द्वारा बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव दिया गया। मुख्य नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत जबाव को समिति द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया।

अनुशंसा :-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट द्वारा दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि में उल्लंघन पाये जाने पर समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 उल्लंघन के कारण पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रू 17,67,00,000/– अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

(अभिषेक सिंह) वित्त अधिकारी	(श्री के.पी. सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर	(मनोज कुमार मंडराई) अधीक्षण यंत्री (विधि)
(श्री आलोक कुमार जैन) अधीक्षण यंत्री		(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

समिति के समक्ष दिनांक 20.06.2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

4. दिनांक 20.06.2025 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गठित समिति के समक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के प्रतिनिधि श्री वाचस्पति त्रिपाठी, सहायक ग्रेड–2 नगर पालिका परिषद कार्यालय जिला बालाघाट ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में अपना पक्ष रखा।

5. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट पर राशि रू. 17,67,00,000/– की गणना कर नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं दूषित जल के निस्सारण हेतु एसटीपी स्थापित नहीं करने पर दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपति करने का प्रस्ताव दिया गया है।

6. पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण कमांक ओ.ए कमांक 593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 एवं प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 में उल्लेखित फार्मूला के अनुसार की गई है।

7. समिति द्वारा अभिलेख्र में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के जबाव का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2024 को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाया गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधिकरण द्वारा बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव दिया गया। मुख्य नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत जबाव को समिति द्वाय संतोषजनक नहीं पाया गया।

अनुशंसा :–

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला बालाघाट द्वारा दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि में उल्लंघन पाये जाने पर समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 उल्लंघन के कारण पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रु 17,67,00,000/– अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

(अभिषेक सिंह) वित्त अधिकारी	(श्री के.पी. सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर	(मनोज कुमार मंडराई) अधीक्षण यंत्री (विधि)
(श्री आलोक कुमार जैन) अधीक्षण यंत्री		(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Environmental Compensation (EC) Committee Meeting against
Municipal Corporation Balaghat

Attendance Sheet   Date : 20/06/2025

S.No.	Organization	Name & Designation, Mobile No.	Signature
1	M.P. Pollution Control Board Bhopal	Shri A. A. Mishra Member Secretary	
2	M.P. Pollution Control Board Bhopal	Shri H. S. Malviya Superintending Engineer	[signature]
3	M.P. Pollution Control Board Bhopal	Shri M. K. Mandari Superintending Engineer (Legal)	[signature]
4	R.O. M.P. Pollution Control Board Jabalpur	Shri K P Soni Regional Officer, Jabalpur	present through VC
5.	M.P. Pollution Control Board Bhopal	Shri Abhishek Singh Chief Finance Officer	[signature]
6.	M.P. Pollution Control Board Bhopal	Smt Parul Bhadoriya Board Retainer Advocate	Present through VC
8.	Municipal Corporation Balaghat	Representative for CMO, Municipal Corporation Balaghat	
	Municipal council Balaghat	Diksha Chaturvedi (Advocate) 7057006388 Chaturvedi	Chaturvedi
	municipal council Balaghat	R.P. Tripathi Asst.-2 9425892917	[signature]